तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ... इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो ... हुक्म की ...ल में ... हुए
19/2/25	वकुलाय उप०। मिसल वास्ते जवाब आइन्दा दिनांक 11/3/25 को पेश हो।	
11/3/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 13/5/25 को पेश हो।	
13/05/25	वकुलाय उप०। मिसल वास्ते जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 20/05/25 को पेश हो।	
20/5/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 17/6/25 को पेश हो।	
17/6/25	वकुलाय उप०। मिसल वास्ते जवाब हेतु दिनांक 15/7/25 को पेश हो।	
15/7/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 26/8/25 को पेश हो।	
26/8/25	वकुलाय उप०। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाता है। मिसल वास्ते बहस हेतु दिनांक 7/10/25 को पेश हो।	
7/10/25	वकुलाय उप०। मिसल वास्ते बहस हेतु दिनांक 2/12/25 को पेश हो।	
2/12/25	वकुलाय उप०। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। दौरान बहस अधि० प्रार्थी ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी काश्त की भूमि है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी [illegible] । के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी [illegible] । उक्त वादग्रस्त भूमि को राजस्व रिकार्ड की आड़ में विक्रय कर खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण अपने उक्त कार्यवाही में सफल हो गए तो प्रार्थी के कास्तकारी हितों पर गंभीर कुठाराघात होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के हक में है। प्रार्थी ने अपने हक	

मु०नं० 12/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकारों की घोषणा बाबत दावा श्रीमान के यहां किया हुआ है जो विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सुचित किया जा चुका है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। अब अप्रार्थीगण दावा विचाराधीन रहते वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने की फिराक में है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को ता फैसला ए दावा वादग्रस्त भूमि को विक्रय रहन ना करने, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण की ओर से मूल वाद में एडवोकेट रामकरण जोशी का वकालतनामा पेश हो चुका है परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने की बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया, ना ही उपस्थित आये इसलिये वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। पृथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से बहुलवाद की संभावना को देखते हुये वकील प्रार्थी का निवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। निर्णय अतः वकील प्रार्थी का निवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक के लिए पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम नान्द की सरहद में स्थित विवादित भूमि ख0न0 37, 401/291 कुल किता 2 कुल रकबा 1.98 है0 भूमि को विक्रय, रहन ना करें, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश किसी भी प्रचलित रास्ता/कटानी रास्ता/डोटेड रास्ता इत्यादि तथा अवाप्ताधीन भूमि पर प्रभावी नहीं होगा। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।	